न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 32/2022
रजिस्ट्रेशन नं. : 2022/52

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

बैंक ऑफ बडौदा, शाखा गढी, जिला बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–

1. श्री रमन लाल लबाना पुत्र श्री मलुक चन्द जी निवासी ग्राम चन्दन पुरा, आंजना, तहसील अरथुना जिला बॉसवाडा
2. श्री भंवर लाल पुत्र तारा चन्द निवासी ग्राम चन्दन पुरा, आंजना, तहसील अरथुना जिला बॉसवाडा

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 24–03–2023

बैंक ऑफ बडौदा, शाखा गढी, जिला बॉसवाडा ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री रमन लाल लबाना पुत्र श्री मलुक चन्द जी निवासी ग्राम चन्दन पुरा, आंजना, तहसील अरथुना जिला बॉसवाडा, श्री भंवर लाल पुत्र तारा चन्द निवासी ग्राम चन्दन पुरा, आंजना, तहसील अरथुना जिला बॉसवाडा को दिनांक 12–03–2008 को राशि रुपया 2,00,000 (अक्षरे दो लाख रुपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 10.06.2011 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 03.09.2021 तक कुल बकाया राशि 122002 (एक लाख बाईस हजार दो रू.) एवं दिनांक 03.09.2021 से राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। सिक्योरीटी के [illegible] अपनी अचल सम्पत्ति प्रार्थी के पास बंधक सम्पत्ति की जिसका विवरण आवासीय [illegible] ग्राम चन्दनपुरा, आंजना, तहसील अरथुना, जिला बांसवाडा में स्थित है। जिसका क्षैत्रफल 333 वर्गगज है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ पूर्व में रोड, पश्चिम

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:44:50 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाडा (राज.)

र्म मनीलाल जी का मकान, उत्तर में गौरीशंकर का मकान, दक्षिण में रमेश/ कचरा का मकान है। जिसका ऋणी ने करार कर ऋण राशि अदायगी हेतु आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) सरफेसी एक्ट 2002 के तहत **दिनांक 03-09-2021** को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित बंधक करार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 12.07.2022 को जारी किये गए। दिनांक 28-09-2022 को अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्रस्तुत हुए। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री राकेश पाटिदार अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थी सं.2 अनुपस्थित रहे। अप्रार्थीगण सं. 1 के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब हेतु अवसर चाहा। अप्रार्थी सं.1 के अधिवक्ता को दिनांक 24.03.2023 तक जवाब हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जा चुके है किन्तु जवाब पेश नही किया गया है। अप्रार्थी सं.2 लगातार अनुपस्थित रहे है। अप्रार्थी सं. 1 का जवाब बंद किया जाता है एवं अप्रार्थी सं. 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता की ओर से बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई है न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने [illegible]। अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अप्रार्थीगणो द्वारा ऋण राशि [illegible] सम्पूर्ण राशि जमा कराने कुछ समय दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:44:50 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगणो को समुचित पर्याप्त अवसर प्रदान किये जा चुके है। अब और समय दिया जाना हम उचित नही समझते है। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत बेंक द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं बैंक को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफैसी एक्ट 2002, स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गढी/ अरथुना को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात **बैंक ऑफ बडौदा, शाखा गढी, जिला बॉसवाडा** को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 24–03–2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:44:50 IST
Reason: SelfAttested